दिनांक 20.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 24/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

वृक्षारोपण जन अभियान–2024 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा किया गया वृक्षारोपण

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 20.07.2024 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार परिसर में वृक्षारोपण करते हुये ''एक वृक्ष मां के नाम'' को समर्पित थीम के तहत पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ **वृक्षारोपण जन अभियान 2024** का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक रूल्स एण्ड मैन्युअल, पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण निदेशालय, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मुख्यालय के परिसर में वृक्षारोपण किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से वृक्षारोपण जन अभियान में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेते हुये उत्तर प्रदेश शासन की मंशानुरूप पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया ।

एक पेड़
माँ के नाम
उत्तर प्रदेश पुलिस

जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये चॉदी के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.07.2024 को थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त डब्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये चॉदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, मैनपुरी के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—डब्लू निवासी ग्राम दया नगला कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मूलनिवासी ग्राम वीलपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1—लूटे गये चॉदी के आभूषण।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हापुड़/थाना धौलाना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के भारी मात्रा में सोने–चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 74 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के इनवर्टर, 01 बैटरा**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 19.07.2024 की रात्रि थाना धौलाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निधावली नहर पटरी के पास से 02 अभियुक्तों 1–अरबाज 2–चमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी के 74 हजार 500 रूपये नगद,चोरी के इनवर्टर, 01 बैटरा, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना धौलाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अरबाज के विरूद्ध जनपद हापुड़, बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना धौलाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरबाज निवासी ग्राम जारचा थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

2–चमन निवासी ग्राम जारचा थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी के भारी मात्रा में सोने–चॉदी के आभूषण।

2–चोरी के 74 हजार 500 रूपये नगद।

3–चोरी के इनवर्टर, 01 बैटरा।

4–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद बरेली/थाना बहेड़ी

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.07.2024 को थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिंगौती पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—शाकिर घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—खलील 3—ताहिर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शाकिर के विरूद्ध जनपद बरेली के थाना बहेड़ी पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बहेड़ी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाकिर निवासी ग्राम सिली जागीर थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

2—खलील निवासी ग्राम सिली जागीर थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

3—ताहिर निवासी ग्राम सिली जागीर थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद जौनपुर/थाना बदलापुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 1400/–रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20.07.2024 को थाना बदलापुर व थाना बक्सा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरोखनपुर अण्डर पास पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अमन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 1400/–रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना बदलापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमन निवासी बरनी थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1–लूट के 1400/–रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

एएनटीएफ यूनिट आगरा

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 36 लाख 10 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 72 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा**
- **05 मोबाइल फोन, नगद रूपये**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 कार बरामद**

दिनॉकः 20.07.2024 को एएनटीएफ यूनिट आगरा टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजली घर के पास नगला–पोला को जाने वाले रोड थाना जमुनापार जनपद मथुरा से 05 अभियुक्तों 1–विक्रम 2–पवन कुमार 3–वीरेन्द्र 4–सोनवीर 5–सागर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 36 लाख 10 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 72 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, 05 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 01 मोटर साइकिल, 01 कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना जमुनापार जनपद मथुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विक्रम निवासी नगला सर्वजीत थाना मलपुरा, आगरा।

2–पवन कुमार निवासी नगला अकोस थाना बल्देव जनपद मथुरा।

3–वीरेन्द्र निवासी मोहल्ला भसोरा जैत थाना जैत जनपद मथुरा।

4–सोनवीर निवासी ग्राम नगला उदैसी की मडइया थाना बल्देव जनपद मथुरा।

5–सागर निवासी ग्राम भूडरी थाना राया जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–लगभग 36 लाख 10 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 72 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

2–05 मोबाइल फोन, नगद रूपये।

3–01 मोटर साइकिल।

4–01 कार।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त इरशाद को आजीवन सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मो0 रियाज को आजीवन कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सराय अकिल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सराय अकिल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विवेक उर्फ काजल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———